A2

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 15/2021 (अपील)

GCMS No. 2021/139

अब्दुल सत्तर पुत्र श्री केसर खां जाति मुसलमान निवासी–बस स्टेण्ड, आनन्दपुरा (अनन्तपुरा) कोटा (राज.)

––अपीलाण्ट

बनाम

1. मोहम्मद जमील पुत्र श्री अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी आनन्दपुरा (अनन्तपुरा) कोटा जिला कोटा
2. वसीम पुत्र श्री अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी आनन्दपुरा (अनन्तपुरा) कोटा जिला कोटा (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आक्षेपित आदेश दिनांक 19.02.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा प्रकरण संख्या 32/2019

उपस्थितः–

1. **श्री विरेन्द्र कुमार राठौड़, अभिभाषक अपीलांट**
2. **श्री राजेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 1**
3. **श्री शिवशक्ति सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 2**

निर्णय

दिनांकः– 12 /10/2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलान्ट श्री अब्दुल सत्तार पुत्र केसर खां द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुनवाई कर दिनांक 19.02.2021 को आदेश पारित किया कि–" प्रार्थी के पास अपने स्वामित्व की पर्याप्त सम्पत्ति है जिसके कारण ही विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है एवं सम्पत्ति विवाद होने से ही प्रार्थी अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल करना चाहता है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रार्थी द्वारा भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।"

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 05.03.2021 को पेश कर कथन किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि संचिका में सिद्वि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है अपीलार्थी ने एक भूखण्ड पैमायशी 35 गुणा 24 फीट कुल–816 वर्गफीट का बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.06.1996 से मुकेश जैन से खरीद किया था, तथा एक अन्य भूखण्ड पैमायशी 35 गुना 32 फीट कुल 1120 मुरलीधर से खरीद किया था । दौनों को मिलाकर अपीलार्थी ने अपनी स्वयं की पूंजी से ग्राउण्ड फ्लोर पर दुकाने, हॉल, कमरा तथ फर्स्ट फ्लोर व सैकण्ड फ्लोर का निमार्ण करवाया उक्त सम्पत्ति में नल व बिजली कनेक्शन हो रहे है । प्रत्यर्थीगण

जिला कलेक्टर
कोटा

(A3)

अपीलार्थी के पुत्र है, जिनके विवाह आदि की जिम्मेदारी को अपीलार्थी द्वारा वहन करते हुये उनकी शादियां कर दी तथा अपीलार्थी द्वारा अपने पुत्रों के प्रति अपने समस्त पैत्रिक दायित्वों को सदैव पूर्ण निष्ठा के साथ निभाया जाता रहा है । अपीलार्थी ने अपने पुत्रों को अपनी उक्त मिल्कियती सम्पत्ति वाके आनन्दपुरा अनन्तपुरा कोटा में निवास करने की अनुज्ञा दी हुई है जिसके तहत प्रत्यर्थी कम–1 फर्स्ट फ्लोर के दौ कमरे किचन व डाइनिंग परिसर में तथा प्रत्यर्थी कम 2 सैकण्ड फ्लोर स्थित दौ कमरे, रसोई परिसर में परिवार सहित निवास करने लगा । प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी को आश्वास्त किया था कि वे अपना अलग से मकान का निमार्ण पूर्ण कर उसमें शिफ्ट हो जावेंगे, किन्तु प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी से उक्त कथन असत्य रूप से कहे तथा प्रत्यर्थीगण निवास के दौरान अपीलार्थी के साथ दुर्व्यवहार पूर्ण अमर्यादित अशोभनीय एवं कूरता पूर्ण व्यवहार हो गया , और प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के कथनों की पालना करने से भी इन्कार किया जाने लगा । अपीलार्थी वृद्व होने से व वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में होने से अपीलार्थी के प्रति विधिक दायित्वों को निर्वहन करने के लिये विधिक रूप से प्रत्यर्थीगण आबाध्य है, किन्तु प्रत्यर्थीगण आये दिन अशान्ति का वातावरण पैदा करते है और अपीलार्थी से वैमनस्यता रखते है और आये दिन अशान्ति का माहौल बना देते है यही नहीं प्रत्यर्थी कम 2 से दुकान का ताला खोलने हेतु कहा तो प्रत्यर्थी कम 2 ने ताला खोलने से मना कर दिया । प्रत्यर्थीगण के कृत्यों के कारण अपीलार्थी को अपनी जान माल व सम्पत्ति की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है, इस संबंध में प्रत्यर्थीगण को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी पाबन्द किया हुआ है । इस कारण प्रत्यर्थीगण को उक्त सम्पत्ति के फर्स्ट फ्लोर व सैकण्ड फ्लोर व दुकान से बेदखल किया जाना आवश्यक हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र का प्रत्यर्थीगण के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रत्यर्थी कम 2 ने दिनांक 14.12.2020 को दस्तावेज तलब करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 4.2.2021 को उक्त ऑर्डर 11 नियम 12 व 14 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई, जिसके आदेश हेतु पत्रावली नियत की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बहस दरख्वास की सुनी थी, लेकिन पीटिशन को बिना सुनवाई के दिनांक 19.2.2021 को खारिज कर दिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत निर्णय पारित करने में त्रुटि की है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण संख 32/2019 दिनांक 19.2.2021 को पारित निर्णय को अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 9 में चाहा गया अन्तिम अनुतोष पारित करने की कृपा करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पा0 नं0 1 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ, व रेस्पो0 नं0 2. की ओर से श्री शिवशक्ति सिंह अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अपीलांट एवं वकील अपीलांट उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित, विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने एक भूखण्ड पैमायशी 35 गुणा 24 फीट कुल–816 वर्गफीट का बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.06.1996 से मुकेश जैन से खरीद किया था, तथा एक अन्य भूखण्ड पैमायशी 35 गुना 32 फीट कुल 1120 मुरलीधर से खरीद किया था । दौनों को मिलाकर अपीलार्थी ने अपनी स्वयं की पूंजी से ग्राउण्ड फ्लोर पर दुकाने, हॉल, कमरा तथ फर्स्ट फ्लोर व सैकण्ड फ्लोर का निमार्ण करवाया उक्त सम्पत्ति में नल व बिजली कनेक्शन हो रहे है । अपीलार्थी ने अपने पुत्रों को अपनी उक्त

(A4)

मिल्कियती सम्पत्ति वाके आनन्दपुरा अनन्तपुरा कोटा में निवास करने की अनुज्ञा दी हुई है जिसके तहत प्रत्यर्थी कम–1 फर्स्ट फ्लोर के दो कमरे किचन व डाइनिंग परिसर में तथा प्रत्यर्थी कम 2 सैकण्ड फ्लोर स्थित दो कमरे, रसोई परिसर में परिवार सहित निवास करने लगा । प्रत्यर्थीगण निवास के दौरान अपीलार्थी के साथ दुर्व्यवहार पूर्ण अमर्यादित अशोभनीय एवं क्रूरता पूर्ण व्यवहार हो गया , और प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के कथनों की पालना करने से भी इन्कार किया जाने लगा । अपीलार्थी वृद्व होने से व वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में होने से अपीलार्थी के प्रति विधिक दायित्वों को निर्वहन करने के लिये विधिक रूप से प्रत्यर्थीगण आबाध्य है, किन्तु प्रत्यर्थीगण आये दिन अशान्ति का वातावरण पैदा करते है और अपीलार्थी से वैमनस्यता रखते है और आये दिन अशान्ति का माहौल बना देते है प्रत्यर्थीगण के कृत्यों के कारण अपीलार्थी को अपनी जान माल व सम्पत्ति की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है, इस संबंध में प्रत्यर्थीगण को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी पाबन्द किया हुआ है । इस कारण प्रत्यर्थीगण को उक्त सम्पत्ति के फर्स्ट फ्लोर व सैकण्ड फ्लोर व दुकान से बेदखल किया जाना आवश्यक हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र का प्रत्यर्थीगण के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रत्यर्थी कम 2 ने दिनांक 14.12.2020 को दस्तावेज तलब करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 4.2.2021 को उक्त ऑर्डर 11 नियम 12 व 14 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई, जिसके आदेश हेतु पत्रावली नियत की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बहस दरख्वास की सुनी थी, लेकिन पीटिशन को बिना सुनवाई के दिनांक 19.2.2021 को खारिज कर दिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत निर्णय पारित करने में त्रुटि की है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण संख 32/2019 दिनांक 19.2.2021 को पारित निर्णय को अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 9 में चाहा गया अन्तिम अनुतोष पारित करने की कृपा करें ।

5. वकील रेस्पो0 नं0 1 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पो0 द्वारा मिलकर व्यवसाय किया है जिससे ही प्रार्थी अपीलांट एवं अप्रार्थी रेस्पो0 को सम्पत्ति प्राप्त हुई है तथा प्रार्थी के पास विज्ञान नगर में एक अलग मकान भी है । अपीलांट मुझ रेस्पोडेन्ट से दुर्भावना रखते हुये मकान से बेदखल करना चाहते है । रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्ट के साथ कोई अशोभनीय व्यवहार नहीं किया है ।

6. वकील रेस्पो0 नं0 2 ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिस आवासीय परिसर से रेस्पोडेन्टगण को बेदखल करना चाहते है वह कच्ची बस्ती नियमन के अन्तर्गत प्राप्त किया है जो स्वतः अपीलार्थी के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को मिथ्या /फर्जी प्रमाणित करता है । उक्त पट्टों में आधे हिस्से का स्वामी शकील पुत्र अब्दुल सत्तार है जबकि अपीलार्थी स्वयं को संपूर्ण मकान का स्वामी अभिकथित कर रहा है जबकि जिस परिसर का कब्जा माननीय न्यायालय के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है उक्त परिसर पट्टे में अभिकथित मकान से आगे की ओर अनन्तपुरा मुख्य मार्ग पर स्थित है । रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्ट के साथ कोई अशोभनीय व्यवहार नहीं किया है । अपीलांट मुझ रेस्पो0 को जबरन दुर्भावना पूर्वक मकान से बेदखल करना चाहते है ।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । यह अपील अन्तर्गत धारा 16 भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश की गई है, प्रार्थी अपीलान्टान का मुख्य कथन है कि अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय भूखण्ड पर स्वअर्जित आय से निर्मित मकान से रेस्पोडेन्टगण द्वारा आए दिन परेशान करने एवं लडाई झगडा करने व अशोभनीय व्यवहार करने का कारण बताते हुए रेस्पोडेन्टगण को बेदखल करना चाहते है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण

जिला कलेक्टर
कोटा

(A5)

अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कारण सम्पत्ति का विवाद होना माना है । उभयपक्ष की बहस में भी यह सम्पत्ति का विवाद सामने आया है । रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ नगर विकास न्यास द्वारा जारी पट्टा दिनांक 3.10.2013 की प्रतियां प्रस्तुत की गई, जिसमें पट्टा शकील पुत्र अब्दुल सत्तार के नाम से जारीसुदा है, जबकि अपीलांट सम्पूर्ण मकान का मालिक स्वयं को मानते है जो गलत है । प्रश्न यह है कि यह विवादित मकान अपीलांट की स्वअर्जित सम्पत्ति है अथवा नहीं इसकी जांच आवश्यक है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से एवं अपीलान्ट की प्रार्थना से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 के तहत रेस्पोडेन्टगण पुत्रों को अपने स्वअर्जित मकान से बेदखल करना चाहते है । अपीलान्ट द्वारा भरण पोषण सम्बन्धी कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है । अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों से भी यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट को भरण पोषण एवं रूपये पैसे की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है मात्र रेस्पोडेन्टगण अपने पुत्रों को घर से बेदखल करना चाहता है । इस अधिनियम की मंशा केवल मात्र सम्पत्ति विभाजन ही नहीं है अपितु वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण के लिए यह अधिनियम 2007 बनाया गया है । यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत की गई है, ऐसी स्थिति में इस अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है ।

8. परिणामस्वरूपः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में विहित प्रावधानों के तहत पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए नवीन निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक **12.10.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/10/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा